राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र बसन्त

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. 20/2017
दायरा तिथि 04.05.2017
संशोधन आदेश तिथि 15.06.2017

प्रार्थी–	**बनामः**	**अप्रार्थीगण–**
छोगा पुत्र पूनमाजी जाति मेघवाल निवासी बसन्त तहसील सुमेरपुर		1–रमेशकुमार पुत्र पुखीयाजी जाति मेघवाल निवासी बसन्त व अन्य (कुल अप्रार्थी–07)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी.

–ः <u>संशोधन आदेश</u> ः–

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र बसन्त में बरोज आज पेश होने पर हमने पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही इस पत्रावली एवं संबंधित निर्णित मूल पत्रावली राजस्व वाद सं. 84/2015 छोगा बनामः रमेशकुमार वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट,1955 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रार्थी ने प्रश्नगत् प्रार्थना पत्र में मुख्यतः निवेदन किया है कि ग्राम बसन्त तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 820/2 रकबा 2.88 हेक्टर के बारे में खातेदारों के मध्य हुए राजीनामा व प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.06.2016 को राजस्व वाद सं. 84/2015 में निर्णय पारित कर बंटवाडा की डिक्री जारी की गई है, उसमें सेवन से खसरा नं. 820/3 जो वादी के हिस्से में अंकित किया है, के स्थान पर खसरा नं. 820/6 एवं खसरा नं. 820/4 जो प्रतिवादी सं.01 लगाय 04 के हिस्से में अंकित किया गया, के स्थान पर खसरा नं. 820/7 संशोधन करवाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रश्नगत् मामले में लोक अदालत की भावना के तहत सुलभ न्याय हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव से वाद–विषयक की जांच रिपोर्ट ली गई, के अनुसार मूल खसरा नं. 820 का पूर्व में बंटवाडा होने से खसरा नं. 820 लगाय 820/4 तक राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो चुके है जिससे माफिक निर्णय/डिक्री के खसरा नं. 820/3 व 820/4 का दुबारा दर्ज किया जाना संभव नहीं होने से खसरा नं.820/3 के स्थान पर 820/6 व खसरा नं. 820/4 के स्थान पर 820/7 दर्ज करने हेतु संशोधन–आदेश जारी फरमावे। कथित जांच रिपोर्ट व राजस्व वाद सं. 84/2015 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 13.06.2016 पर मनन व विचारण करने के बाद प्रश्नगत् प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है और इस आधारित हमारे विधिक विचारों में प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र कतिपय प्रावधान के तहत स्वीकार किया जाकर खसरा नं.820/3 के स्थान पर 820/6 व खसरा नं. 820/4 के स्थान पर 820/7 दर्ज किए जाने हेतु संशोधन–आदेश पारित करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधान के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम बसन्त तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 820/2 रकबा 2.88 हेक्टर के बारे में खातेदारों के मध्य हुए राजीनामा व प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा गत् दिनांक 13.06.2016 को राजस्व वाद सं. 84/2015 में पारित निर्णय व डिक्री अन्तर्गत खसरा नं. 820/3 के स्थान पर 820/6 व खसरा नं. 820/4 के स्थान पर 820/7 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए जाने हेतु संशोधन आदेश पारित किया जाता है। उपरोक्त संशोधन आदेश मुताबिक तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का बसन्त राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार संशोधन का इन्द्राज कर पालना सुनिश्चित करे।

यह संशोधन–आदेश बरोज आज दिनांक 15.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–बसन्त में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner